

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-223/2022

अजय आसवानी

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पटेल सर्कल, उदयपुर।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आईए) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पटेल सर्कल, उदयपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 01.10.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या-7592/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 पारित किया गया है, जिसमें अजमेर विद्युत वितरण नि.लि. के कर्मचारियों के सेवा विवाद का क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को होना नहीं माना गया है।
2. अतः यह अपील इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलार्थी को छूट दी जाती है कि वह सक्षम न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)